पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 14, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–31

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	₹0 3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	603–636	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	291–297	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	17–20	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4

विज्ञप्ति / नियुक्ति

22 मई, 2023 ई०

संख्या 316 / XXX(4)/2023-04(1)/2018-टी०सी०–उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2016 के नियम–22(2) के प्राविधानानुसार, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा चयन परीक्षा–2022 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु, महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–5720 / UHC / Admin.A / 2022, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थिनी को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा सवंर्ग के वेतनमान ₹ 144840-194660 (J-5) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र०सं०	नाम	वर्तमान पता	अभ्युक्ति
1.	सुश्री अंजली बेंजवाल	शमशेरगढ़ रोड़, शिव मंदिर के पीछे, बालावाला, देहरादून	सीधी भर्ती

2– उक्त अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं। उक्त अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

24 मई, 2023 ई०

संख्या 123536 / XXVIII-1/2023/E-54480–उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 के प्रावधानानुसार उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक वेतन मैट्रिक्स–13 (पूर्व वेतनमान रू०–37400–67000 ग्रेड वेतन रू०–8700) के पद पर कार्यरत निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक वेतन मैट्रिक्स–13क (पूर्व वेतनमान रू०–37400–67000 ग्रेड वेतन रू०–8900) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र०सं०	नाम
1.	डा० राजीव कुमार शर्मा
2.	डा० उमा रानी शर्मा
3.	डा० सन्दीप कुमार टण्डन
4.	डा० राजीव सिंह पाल

2— उक्तानुसार पदोन्नत अपर निदेशकों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

26 मई, 2023 ई०

संख्या 311/XXIV-4/2023-01(01)2016 TC—राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम 2023 है।

अध्याय—बारह में नये प्रस्तर 16—क का अंतःस्थापन

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में विद्यमान विनियम में प्रस्तर 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तर अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

16(1) हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल सुधार परीक्षा

(क) हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षाफल सुधार परीक्षा का स्वरुप—

हाईस्कूल (कक्षा 10) में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा—

a. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा परीक्षाफल निर्माण के दृष्टिगत् निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जायेगी—
   1. भाषा : हिन्दी
   2. भाषा : अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा बंगाली में से कोई एक भाषा
   3. गणित अथवा गृह विज्ञान (गृह विज्ञान

केवल बालिकाओं के लिये)
4. विज्ञान
5. सामाजिक विज्ञान
6. अतिरिक्त विषय– केवल मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में ली गयी भाषा अथवा व्यावसायिक विषय।

b. हाईस्कूल (कक्षा 10) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से अधिकतम दो विषयों, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो, का चयन कर सकेगा।

c. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल (कक्षा 10) की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा–

i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो।

अथवा

जो परीक्षार्थी किसी विषय की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु लिखित (सैद्धान्तिक) भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय/विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।

d. मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह अथवा परिषद् द्वारा

निर्धारित अवधि के अंदर परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिये परीक्षार्थी (संस्थागत/व्यक्तिगत) उस विद्यालय, जहां वह परीक्षार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ, के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ सम्मिलित होगा, जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आंवटित किया गया था।

e. परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र यथासम्भव जिला अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेंगे।

f. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु0 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा।

g. (i) बिन्दु e के उप बिन्दु i में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय/विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगें। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा। प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार

नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा–

1. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय/विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष/वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा।

अथवा

2. परीक्षार्थी के पास यह विकल्प भी होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की हाईस्कूल (कक्षा 10) की

मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क जमा करने हेतु उसे प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ii) बिन्दु c के उप बिन्दु ii में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय/विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर उसी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा।

h. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में पूर्व में प्राप्त अंक यथावत अग्रेषित किए जायेंगे अर्थात प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग की परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी।

i. परिषदीय परीक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन होने की स्थिति में परीक्षाफल सुधार परीक्षा तत्समय प्रचलित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी।

j. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिये गये विषय/विषयों में प्राप्त अंक तथा अन्य

विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदण्डों के अनुसार संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

k. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय/विषयों में सम्मिलित होगा उस विषय/विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र–सह– अंकपत्र निर्गत किया जायेगा और ऐसी स्थिति में उस से पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद् द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना भी की जाएगी।

l. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

m. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को औपबंधिक रूप से कक्षा 11 में प्रवेश की अनुमति होगी परंतु उसका प्रवेश तब ही वैध होगा जब वह परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त प्रथम अवसर में कक्षा 10 उत्तीर्ण होगा। यदि वह प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो

उसका औपबंधिक प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। इस स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार सम्बन्धित विषय/विषयों की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के द्वितीय अवसर में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु या समस्त विषयों के साथ संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने हेतु प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा। तृतीय अवसर परिषद् द्वारा आगामी मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा।

ग. परीक्षाफल सुधार परीक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षार्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। यदि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर किसी परीक्षार्थी के अंक अधिक हो जाते हैं तो भी मुख्य परीक्षा के आधार पर परिषद् द्वारा पूर्व में जारी मेरिट लिस्ट, टॉप 1 परसन्टाइल, टॉप 20 परसन्टाइल आदि सूचियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ख) इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 व केवल कृषि वर्ग के लिये कक्षा 11 सहित) परीक्षाफल सुधार परीक्षा का स्वरुप–

इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 व केवल कृषि वर्ग के लिये कक्षा 11 सहित) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा–

क. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा उन सभी विषयों/प्रश्नपत्रों में आयोजित की जायेगी, जिनमें मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी।

b. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से किसी एक विषय/प्रश्नपत्र, जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो, का चयन कर सकेगा।

c. इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा–

i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो।

अथवा

जो परीक्षार्थी किसी विषय/प्रश्नपत्र की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/ प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु लिखित(सैद्धान्तिक) भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय/विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।

d. मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह अथवा परिषद् द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिये परीक्षार्थी (संस्थागत/व्यक्तिगत) उस विद्यालय, जहां वह परीक्षार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो, के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ सम्मिलित होगा, जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आंवटित किया गया था।

e. परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र

निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र निर्धारण में परीक्षा केन्द्र यथासम्भव जिला अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेगें।

f. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु0 300.00 (रू0 तीन सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 150.00 (रू0 एक सौ पचास मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा

g. (i) बिन्दु c के उप बिन्दु i में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय/विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगें। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा। प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा–

1. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय/विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एव

अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष/वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा।

अथवा

2. परीक्षार्थी के पास यह भी विकल्प होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र–सह– अंकपत्र शुल्क

जमा करने हेतु उसे प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ii) बिन्दु e के उप बिन्दु ii में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने का केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा

h. विषय में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रयोगात्मक/ आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट में पूर्व में प्राप्त अंक यथावत अग्रेषित किए जायेंगे अर्थात प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी

i. परिषदीय परीक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन होने की स्थिति में परीक्षाफल सुधार परीक्षा तत्समय प्रचलित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी।

j. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिये गये विषय/प्रश्नपत्र में प्राप्त अंक तथा अन्य विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदण्डों के अनुसार संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जायेगा

k. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय में सम्मिलित होगा उस विषय में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंकपत्र अथवा

प्रमाणपत्र–सह–अकपत्र निर्गत किया जायेगा और ऐसी स्थिति में उससे पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद् द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र–सह–अकपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना भी की जाएगी।

l. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

m. परीक्षाफल सुधार परीक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षार्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। यदि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर यदि किसी परीक्षार्थी के अंक अधिक हो जाते हैं तो भी मुख्य परीक्षा के आधार पर परिषद् द्वारा पूर्व में जारी मेरिट लिस्ट, टॉप 1 परसन्टाइल, टॉप 20 परसन्टाइल आदि सूचियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

n. कृषि वर्ग हेतु व्यवस्था–

कृषि वर्ग के अन्तर्गत कक्षा 11 की मुख्य परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित हुये अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को भी कक्षा 12 की भाँति उपरोक्त व्यवस्थानुसार सम्बन्धित वर्ष में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा

(ग). परीक्षाफल सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में अन्य निर्देश–

1. परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा के आयोजन से परीक्षाफल घोषित होने तक विभिन्न नियम, प्रक्रिया, उत्तीर्णता मानदण्ड मुख्य परीक्षा के समान ही होंगे
2. विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा।
3. परीक्षाफल सुधार परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का शत-प्रतिशत अंकेक्षण किया जायेगा। अतः सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी परीक्षार्थी से प्राप्त होने वाले किसी भी सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषित होने के तीन माह के अंदर वीड-आउट कर दी जाएंगी
4. परीक्षाफल सुधार परीक्षा सम्पादित किये जाने हेतु व्यय की व्यवस्था हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 11 एवं 12) परीक्षा, केन्द्र व्यय एवं मूल्यांकन मद आदि में स्वीकृत धनराशि से की जायेगी। इस संबंध में विभिन्न स्तरों विद्यालय/परीक्षा केन्द्र, संकलन केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र आदि पर मानदेय/पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक व्यय की दरें वही होंगी जो मुख्य परीक्षा के संचालन हेतु नियत की गयी हैं। परिषद् द्वारा तद्नुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।
5. परीक्षाफल सुधार परीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जायेगी। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के संपादन एवं सुचारु संचालन हेतु आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र निर्धारण,

परीक्षा कार्यक्रम का निर्माण, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल निर्माण आदि के संदर्भ में आवश्यक दिशा–निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
रविनाथ रामन,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

विविध

31 मई, 2023 ई0

संख्या 126326/2023/23(100)/XXVII(8)/2004–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 है

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

नियमावली के नाम में संशोधन

2. "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली" के स्थान पर "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली" पढ़ा जाये।

नियम 2 का संशोधन

3. उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 2 में "वाणिज्य कर" शब्दों के स्थान पर "राज्य कर" शब्द रखे जाएगें

नियम 3 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 3 में:–

(i) खण्ड (क) में "आयुक्त कर" शब्दों के स्थान पर "आयुक्त राज्य कर" शब्द रखे जाएगें

(ii) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

(झ) "राज्य कर अधिकारी" से विभागीय ढाँचे के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्यालयों में राज्य कर अधिकारी के रूप में नियुक्त राज्य कर अधिकारी भी सम्मिलित है

(iii) खण्ड (ट) में "वाणिज्य कर" शब्दों के स्थान पर "राज्य कर" शब्द रखे जायेगें।

नियम 4 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी, जितनी नीचे दी गई है:–

पद का नाम	स्थायी	अस्थाई	कुल
राज्य कर अधिकारी	76	158	234
राज्य कर अधिकारी (मनोरंजन कर विभाग से संविलियन निरीक्षक संवर्ग के कार्मिकों हेतु आरक्षित)			09
योग:			243

परन्तु यह कि:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेगें अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकेगें जिससे कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

नियम 6 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 6 में:–

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिये जाएगें, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) वाणिज्य कर अधिकारी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:–	(1) राज्य कर अधिकारी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:–

(ii) खण्ड (दो) के उपखण्ड (क) एवं उपखण्ड (ग) में "वाणिज्य कर" शब्दों के स्थान पर "राज्य कर" शब्द रखे जाएगें।

(iii) खण्ड (दो) के उपखण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) निरीक्षक संवर्ग– राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड में मनोरंजन कर विभाग से संविलियन किये गए जिला मनोरंजन कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी) के कुल 09 पदों को निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नति हेतु केवल तब तक के लिये आरक्षित रखा गया है, जब तक कि निरीक्षक संवर्ग के समस्त कार्मिकों की पदोन्नति न हो जाए,

अतएव उक्त 09 पदों को, वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 रू0 35400–112400 (संशोधित वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड वेतन रू0 4200) के ऐसे राज्य कर निरीक्षक, श्रेणी एक (निरीक्षक श्रेणी–एक) में से, जिन्होंने इस पद पर कम से कम 05 वर्ष अथवा अपने संवर्ग में कुल 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा किसी पद पर स्थायी हो, पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा:

परन्तु यह कि राज्य कर निरीक्षक संवर्ग मृत संवर्ग घोषित किए जाने के कारण इस पोषक संवर्ग के वर्तमान में कार्यरत समस्त कार्मिकों के प्रोन्नति/सेवानिवृत्त हो जाने अथवा अन्यथा किसी कारण से सेवा में न रह जाने के कारण उक्त 09 पदों पर भर्ती इस नियमावली के नियम–5(1)(दो) (क) एवं (ग) में विहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

नियम 6 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचें स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

नियम 23 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

<table>
<tr><th>स्तम्भ–1
विद्यमान उपनियम</th><th>स्तम्भ–2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</th></tr>
<tr><td>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>पद का नाम</th><th>वेतन बैंड/वेतनमान का नाम</th><th>वेतन बैंड/वेतनमान</th><th>ग्रेड वेतन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>वाणिज्य कर अधिकारी</td><td>वेतन बैंड–2</td><td>रु0 9300–34800</td><td>4800</td></tr>
</table></td>
<td>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>पद का नाम</th><th>वेतनमान</th><th>वेतन मैट्रिक्स</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>राज्य कर अधिकारी</td><td>लेवल–7</td><td>44900–142400</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor s pleased to order the pub icat on of the following English translation of the Notification No.126326/2023/23(100)/XXVII(8)/2004 dated May 31, 2023 for general information

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 31, 2023

No.126326/2023/23(100)/XXVII(8)/2004--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" the Governor hereby makes the following rules with a view to amend the Uttarakhand Commercial Tax Officer Service Rules, 2009:-

The Uttarakhand Commercial Tax Officer Service (Amendment) Rules, 2023

Short Title And Commencement:	1.(1) These rule may be called the Uttarakhand Commercial Tax Officer Service (Amendment) Rules, 2023. (2) It shall come into force at once.
Amendment In the Name of Rule	2. In place of the Uttarakhand Commercial Tax Officer Service Rules, the Uttarakhand State Tax Officer Service Rules Shall be read.
Amendment of Rules 2:	3. In rule-2 of the Uttarakand Commercial Tax Officer Service Rules, 2009 (hereinafter referred to as the principal rules), for the words "commercial tax", the words "state tax" shall be substituted.
Amendment of Rule 3:	4. In Rule 3 of the principal rules:- (i) In clause (a), for the words "Commissioner Tax", the words "Commissioner of State Taxes" shall be substituted. (ii) For clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:- (i) "State Tax Officer" includes State Tax Officers appointed as State Tax Officers in various offices sanctioned subjected the departmental structure. (ii) In clause (k), for the words "commercial Tax", the words "State tax" shall be substituted.
Amendment of Rule 4:	5. In the principal Rules, for The sub-rule (2) of rule 4 the following rule shall be substituted, namely:- "(2) The strength of the Service and the strength of each category of posts therein shall, unless varied by orders passed under rule (1), be as given herein below:-

Designation	Permanent	Temporary	Total
State tax officer	76	158	234
State Tax Officer (Merge from Entertainment Tax Department reserved for Inspector cadre personnel)			09
Total-			243

Provided that:-

i. The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold it in abeyance any vacancy post, without thereby entitling any person to compensation.

ii The Governor may create such permanent or temporary posts as he may consider proper."

Amendment of rule 5:

6. In rule 5 of the principal rules,-

(i) For the existing sub-rule (1) as set out in column-1 herein below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Sub-rule as hereby substituted
1. Recruitment to the posts of Commercial Tax Officer shall be done from the following sources:	1. Recruitment to the posts of State Tax Officer shall be made from the following sources·

(ii) In sub-clause (a) and sub-clause (c) of clause (ii), for the words "commercial tax", the words "State tax" shall be substituted.

i.After sub-clause (c) of clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:

"(d) Inspector Cadre- Total 09 posts of District Entertainment Tax Officer (State Tax Officer) who have merged with State Tax Deparment, Uttarakhand shall be reserved for promotion from Inspector Cadre only, until all the personnel of Inspector Cadre are promoted;

Therefore the said 09 posts shall be filled by promotion amongst such State Tax Inspector, Category-I (Inspector-Grade-I) of Pay Matrix Level-6, Rs. 35400-112400(Revised Pay Scale Rs. 9300 34800 + Grade Pay Rs 4200) who have completed at least five years of service on this post or a total eight years of service has completed in his/her cadre and permanent on any post:

Provided that matter of the State Tax Inspector cadre being declared a dying cadre, all the personnel currently working in this feeder cadre being promoted/retired or otherwise not being in service due to any reason, the recruitment to the said 09 posts shal be made according to the provisions prescribed in rule 5(1) (II) (a) and (c) of this rule.

Amendment of rule 6:

7. In the principal rules, for the existing rule-6 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby substituted
Reservation 6. Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of Uttarakhand State shall be done as per the orders of the Governement in force at the time of recruitment.	**Reservation** 6. Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories of Uttarakhand State shall be made as per the orders of the Governement in force at the time of recruitment.

Amendment of Rule 23:

8. In the principa rules, for sub-rule (2) of the existing rule 23 as set out in column-1 herein below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Sub-rule as hereby substituted
(2)The pay scales at the time of commencement of these rules shall be as follows:	(2) The pay scales at the time of commencement of these rules shall be as follows:

S.No	Designation	Pay band	Pay Band/ Pay Scale	Grade Pay	S.No	Designation	Pay level	Pay matrix
1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Commercial Tax Officer	Pay band-2	9300-34800	4200	1	State Tax Officer	Level-7	44900-142400

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary.

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

कार्यालय ज्ञाप

01 जून, 2023 ई0

संख्या 126942/XXVII(7)/ई0–19943/2022–

विषयः–राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने के सबध में।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश तथा राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं को संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु बाल्य देखभाल अवकाश के रूप में सम्पूर्ण सेवा काल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने सबंधी वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–11/XXVII(7)/34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–207/XXV (7) /34/2011 दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा

ii. एकल अभिभावक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष सरकारी सेवक तथा अविवाहित महिला सरकारी सेवक को भी सम्मिलित किया जायेगा।

iii. बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा

iv बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भॉति स्वीकृत किया जायेगा तथा उपार्जित अवकाश की भॉति बाल्य देखभाल अवकाश खाता रखा जाएगा बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा

v. जनहित एवं कार्यालय के प्रशासकीय कार्यो के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में 05 दिनों से कम अवधि एवं 120 दिनों से अधिक अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

vi एकल महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 6 बार तथा अन्य पात्र महिला/पुरूष सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।

vii बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के इतर अन्य कार्यों हेतु बाल्य देखभाल अवकाश लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी नियम/आदेश लागू होंगे।

viii बाल्य देखभाल अवकाश में रहते हुए कार्मिक को पहले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा जिन महिला सरकारी सेवकों द्वारा पूर्व से बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा रहा है, के संबंध में यह प्रावधान अवकाश लेखे में बचे हुए अवकाशों पर ही नियमानुसार लागू होगा।

ix परिवीक्षाकाल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं। सेवा नियमावली में निर्धारित परिवीक्षा काल अवधि में बाल्य देखभाल अवकाश तीन माह से अधिक अनुमान्य नहीं होगा

x. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला/पुरूष सरकारी शिक्षकों (UGC, CSIR, एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर पात्र महिला/पुरूष कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7

कार्यालय ज्ञाप

02 जून, 2023 ई0

संख्या 126930 / XXVII(7)/E–22807 / 2022–

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–77442 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01–01–2023 से 212 प्रतिशत के स्थान पर 221 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा सदस्यों स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 /दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान चलता कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने की सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव

Government of Uttarakhand

Finance (G.R-P.C.) Section-7

Office Memorandum

June 02 2023

No.126930/XXVII(7)/E-22807/2022--

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2023 @ 221% instead of 212% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 77442/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 18 November, 2022 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary

वित्त (सा०नि० वे०आ०) अनुभाग 7

कार्यालय ज्ञाप

02 जून, 2023 ई०

संख्या 126934/XXVII(7)/E–22807/2022–

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार को ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–74729/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 01–01–2023 से 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश माo उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से

दिलीप जावलकर,

सचिव।

Government of Uttarakhand

Finance (G.R.P.C.) Section-7

Office Memorandum

June 02, 2023

No.126934/XXVII(7)/E-22807/2022--

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f 01-01-2023 @ 42% instead of 38 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 74729/XXVII(7)E-22807/2022 Dated 08 November, 2022 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Pubic Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respect ve department

3 These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par w th the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

18 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 138/VIII-1/23-91 श्रम/2008 राज्यपाल, श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1256/VIII-1/18-91 (श्रम)/2008, दिनांक 28.11.2018 को अधिक्रमित करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से राज्य में कार्यरत समस्त कारखाना/कम्पनियों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में सायं 07.00 से प्रातः 06.00 बजे तक कार्य करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे कार्यस्थल अथवा संस्थान में ऐसे प्रबन्ध करें कि यौन उत्पीड़न के कृत्य अथवा घटना न होने पाये। ऐसी घटना हो जाने की स्थिति में तत्काल विधिक कार्यवाही एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही के सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें। यौन उत्पीड़न में अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर हो जैसे कि– शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध, कामासक्त फब्तियां, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण सम्मिलित है।

2. सभी नियोजक तथा कारखाना या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्ति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठायेंगे:–

   (i) नियोजक द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन विषयक नियम या विनियम बनाये जायेंगे तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरुद्ध समुचित दण्ड की व्यवस्था के साथ कारखाने में वर्तमान लागू स्थाई आदेश में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

   (ii) कारखाने में कार्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए उचित कार्य वातावरण की व्यवस्था की जायेगी जिससे यह सुनिश्चित् हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण निर्मित नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके लिए नियोजन से संबंधित कोई अलाभकारी स्थिति है।

   (iii) नियोजक, कारखाने में शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे, एक शिकायत समिति गठित की जायेगी जिसमें विशेष सलाहकार तथा अन्य सहायक सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल होगी तथा गोपनीयता बनाए रखी जायेगी।

   (iv) किसी अपराधिक घटना की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित् करेंगे कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाहों का उत्पीड़न न हों तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव न किया जाय। यदि प्रभावित श्रमिक के अनुरोध पर उन्हें पाली स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो आवश्यक व्यवस्था करेंगे, नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।

(v) सभी शिकायत समितियों की अध्यक्ष महिला होगी तथा समिति में महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम न होगी। इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि अथवा ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जो यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी रखता हो।

(vi) महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा तथा ऐसे दिशा–निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

(vii) जहां पर यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए वहां पर नियोजक अथवा कारखाने के प्रभारी को घटना की रोकथाम के लिए समुचित सहयोग तथा सहायता दी जानी होगी।

3. नियोजक द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व कार्य वातावरण हेतु निम्नलिखित प्रबन्ध किये जायेंगे:–

(i) रात्रि पाली के दौरान प्रवेश (Entry) तथा निर्गम (Exit) स्थल पर महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। कारखाना प्रबन्धकों द्वारा कारखाने के अन्दर जहां पर महिला कर्मकार कार्य करेंगी, कारखाने के बाहर तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) नियोजक महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य स्थल पर लाने व उनके आवास पर वापस ले जाने के लिए सुरक्षा गार्ड सहित परिवहन की व्यवस्था करेगा, जिसके अन्तर्गत वाहन में कैमरे, जी0पी0एस0 व पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) की सुविधा अवश्य होनी चाहिए तथा वाहन पर महिला हैल्प लाईन नम्बर व अन्य आकस्मिक नम्बर लिखे होने चाहिए, अधिकृत वाहन का तथा उसके ड्राईवर का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से कराया जाना होगा।

(iii) नियोजक न केवल कारखानों के अदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेंगे बल्कि कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगहों पर जहां पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पाली के दौरान आवश्यकतानुसार आती–जाती होंगी, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था मय बैकअप करेंगे।

(iv) रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाईजरी स्टॉफ में महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी।

(v) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्थानुसार महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल आदि हेतु क्रैच (शिशु सदन) की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।

(vi) कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार कैंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।

(vii) कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस पाली में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें वाहन रखा जायेगा, ताकि तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुँचाया जा सके।

4. नियोजक यह भी देखेंगे कि नियोजित महिला श्रमिकों के एक बैच में 10 से कम संख्या नियोजित न हो तथा रात्रि पाली में कारखानो में कुल नियोजित कर्मकारों मे महिला श्रमिकों की संख्या 20 से कम न हो।

5. नियोजक प्रत्येक रात्रि पाली में कम से कम 01 महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेगी।

6. कार्य के घंटे के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियम के प्रावधान के अतिरिक्त, समान पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुपालन भी नियोजक द्वारा किया जायेगा।

7. महिला श्रमिक जो रात्रि पाली तथा नियमित पाली में काम करती हों, की एक मासिक बैठक उनके प्रतिनिधियों तथा प्रमुख नियोजक के साथ होगी, जिसे 09 सप्ताह में एक बार शिकायत दिवस के रूप में आयोजित किया जायेगा। नियोजक यह प्रयत्न करेंगे कि उक्त व्यवस्था का परिपालन हो, नियोजक द्वारा सभी उचित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की जायेगी।

8. किसी महिला कर्मकार से किसी भी कार्य दिवस में 09 घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

9. यदि कोई महिला कर्मकार सांय 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे की अवधि के दौरान कार्य करने से इकार करे, तो नियोजक उसे केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटायेगा कि उसने उक्त अवधि के दौरान कार्य करने से इकार कर दिया। दिन के समय में अर्थात् रात्रि पाली के अतिरिक्त महिला कार्मिकों/श्रमिकों हेतु कार्य के घंटे तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया प्रचलित नियमानुसार यथावत् रहेगी।

10. नियोजक प्रत्येक 15 दिन में रात्रि पाली में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा ऐसी किसी आकस्मिक घटना का प्रतिवेदन तत्काल ही कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।

11. नियोजक, महिला श्रमिकों को आंशिक/पूर्ण रूप से रात्रि पाली में नियोजित करने हेतु स्वतंत्र होगें, जिसमें उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन आवश्यक होगा।

2. उपर्युक्त शर्तों का दृढ़ता से अनुपालन कराये जाने हेतु श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी निरन्तर अनुश्रवण करेंगे तथा अनुश्रवण की सामयिक रिपोर्ट संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

n pursuance of the provis on of Clause (3) of Article 348 of "the Constitut on of India", the Governor is pleased to order the publication of the following Eng ish translation of Not fication No 138/ VII -1/23-91 Sharm/2008 dated July 18, 2023 for general nformation

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 18, 2023

No 138/VIII-1/23-91 Sharm/2008--Hereby superseding the Notification No 1258/V II/18-91 (Sharm)/2008 dated 28 11 2018 of Labour sect on from the date of pub cation of the notification in the gazette, the Governor is pleased to allow to women workers in all the factories/companies working in the state to work in the night sh ft from 7 00 PM to 6 00 AM, subject to the fo lowing conditions

1- It shall be the duty of the employer and other responsible persons to make such arrangements that no act of sexual harassment or inc dent shall happen in the workplace or institution. In event of such an incident, arrange for immediate legal action and all necessary steps for prosecut on. Sexual harassment included forbidding sexual conduct whether direct or implied such as physical contact and proximity, demands or requests for sexual favors, sexual y explicit comments, showing pornography and any forbidding physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual conduct,

2- **All employers and persons in charge of factory or workplace shall take the following steps to prevent sexual harassment:-**

(I) To prevent sexual harassment by the employer, rules or regulations related to conduct and discipline shall be made and necessary provisions shall be made in the existing applicable standing order in the factory along with provision of appropriate punishment against the misbehavior.

(II) Proper work environment for work, recreation, health and safety shall be arranged in the factory, so as to ensure that no polluted environment is created for women at the work place and there is no sufficient ground for the belief of a women employee that there is any situation in her employment pre judicial to her.

(iii) The employer shall maintain a proper system for hearing complaints in the factory and shall e nsure the disposal of complaints in such a system in a time-bound manner A co mplaints committee shall be constituted wh ch shall also include provision of special consultants and other support services and confidentiality shall be maintained.

(iv) In case of any criminal incident, the employer shall initiate appropriate action without any delay as per the provis ons of the penal law and shall also ensure that sexual vict ms of harassment person and their witnesses should not be harassed and no discrimination should be done during the complaint of sexual harassment. If at the request of the affected worker, she needs shift transfer or transfer, they wil make necessary arrangements, the employer shall take appropriate discip nary action if such conduct comes under the purview of misconduct in employment.

(v) All complaints committees shall be headed by women and the number of women members in the committee shall not be less than half; in addition to this the committee shall include a representative of a non-government organization or a person having knowledge of sexual harassment cases.

(vi) Women employees shall be made aware of the r officers and such guidelines shall be prominently notified.

(vii) Where the incident of sexual harassment is committed by a third party, proper co-operation and assistance shall be given to the employer or incharge in the factory for the prevention of incident.

3- **The following arrangements shall be made by the employer for the safety and working environment of the women:-**

(i) There should be adequate safety arrangements for women workers at entry and exit during night shift. It shall be mandatory for factory managers to install CCTV cameras inside the factory where women workers shall work, outside the factory and at every entrance.

(ii) The employer shall make arrangements for transport with security guards to bring the women labourers to the place of work in night shift and to take them back to their residence, under which the vehicle must have the facility of cameras, GPS and panic button (emergency alarm) and women's helpline number and other emergency number should be written on the vehicle, police verification of the authorized vehicle and its driver must be done.

(iii) The employer shall not only provide adequate lighting inside the factories but shall also provide adequate backup lighting around the factories and at all such places where women workers may move during the night shift as required.

(iv) Women personnel shall be appointed as supervisor or shift in-charge or foremen or other supervisory staff during night shift.

(v) According to the arrangement laid down under the Factories Act, 1948 arrangement for creche (children's house) shall be ensured for the care of small children of women etc.

(vi) Arrangement of canteen shall be ensured as per the Factories Act, 1948.

(vii) Proper medical facility shall be provide by the factory and necessary telephone facility shall be made available at the time of need and vehicle shall be kept in the shift in which more than 100 women workers are working, so that they can be taken to the hospital in case of emergency.

4- The employer shall also see that not less than 10 numbers are employed in a batch of employed women workers and the number of women workers is not less than 20 of the total employed workers in night shift factories.

5- The employer shall appoint at least 1 lady warden in every night shift, who shall do rounds during work and act as special welfare assistant.

6- In addition to the provisions of the Factories Act and other rules regarding working hours, equal remuneration payment and compliance of other labour laws shall also be done by the employer.

7- A monthly meeting of women workers who work in night shift and regular shift with their representatives and principle employer which shall be organized as a complaint day once in 8 weeks. The employer shall make efforts to ensure that the above arrangement is followed and the employer shall make arrangement to redress all appropriate complaints.

8- No women workers shall be expected to work for more than 9 hours in any working day and for more than 48 hours in any week.

9- If a female worker refuses to work during the period from 07.00 PM to 06.00 AM, the employer shall not remove her from employment merely because she refused to work during the said period. During the day time i.e. in addition to the night shift, the working hours for the women workers/labourers and the process of work execution shall remain the same as per the prevailing rules.

10- In every 15 days, the employer shall send a report to the factory inspector along with the details of the employees employed in the night shift and shall immediately send the report of any such accident to the factory inspector and local police station.

11- Employers shall be free to employ women workers partially/fully in night shift, in which compliance of the above instructions shall be necessary.

2. In view of the strict compliance of the above conditions, the officers/employees of the Labour Department shall continuously monitor and timely reports of monitoring shall be compiled and made available to the government.

By Order

R. MEENAKSHI SUNDARAM
Secretary.

गृह अनुभाग–04

अधिसूचना

09 जून, 2023 ई0

संख्या 430/XX-4/2023-05(17)/2013- राज्यपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के अध्याय 2, धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, देहरादून को वर्तमान पदभार यथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सम्बन्धित वादों के विचारण तथा सचिव लोकायुक्त के अतिरिक्त प्रभार के साथ–साथ सतर्कता अधिष्ठान द्वारा देहरादून में निम्नलिखित विशेष वादों के विषय में दायर चालानों से सम्बन्धित वादों के विचारण हेतु अधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

Special Session Trial No. 08 of 2016 State vs Ashok Gariya and others with connected Special Session Trial No. 06 of 2020 State Vs. Ranjeet, Special Session Trial No. 03 of 2019 State Vs. Ranjeet, Special Session Trial No. 08 of 2019 State Vs. Gaurav, Special Session Trial No. 09 of 2019 State Vs. Ashok Gariya, Special Session Trial No. 05 of 2020 State Vs. Syed Asghar and Special Session Trial No. 03 of 2017 State Vs. Syed Asghar

आज्ञा से,

रितिका अग्रवाल,

विशेष सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अन्तिम अधिसूचना

15 अप्रैल, 2023 ई0

संख्या I/121887/IV(3)/2023-11(02 निर्वा0)/2022--उत्तराखण्ड की नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जनपद हरिद्वार के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007) की धारा–11क एवं धारा 11ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित की जायेगी केवल उन्हीं आपत्तियो एवं सुझावो पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी

प्रस्तावित अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा 11क एवं धारा 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल सलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जनपद हरिद्वार क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आदेश जारी करते है :–

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ–1 से 4 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पालिका, शिवालिकनगर, जनपद हरिद्वार

कक्ष संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मलित मौहल्लों के नाम
1	2	3	4
वार्ड सं० 1	शिवालिकनगर (उत्तर – पश्चिमी)	पू० – अमृत चौक प० – काली मन्दिर उ० – राणा स्वीट्स द० – शिव शक्ति धाम	शिवालिक नगर क्लस्टर टी/के/जे/एच एवं रामधाम और वाल्मिकी बस्ती आंशिक
वार्ड सं० 2	शिवालिकनगर (उत्तरी – पुर्वी)	पू० – कर्नल चौक प० – देव भुमि जन सेवा केन्द्र उ० – विनमैय कॉलेज द० – शिव मन्दिर	शिवालिक नगर क्लस्टर ऐ/बी/सी/डी /जी/एल
वार्ड सं० 3	शिवालिकनगर (गंगा नगरी)	पू० – जे०एस० त्यागी प० – पैट्रोल पम्प उ० – पायल ट्रेलर द० – बी ०एच०ई०एल० की भूमि	क्लस्टर एन/पी
वार्ड सं० 4	शिवालिकनगर (दक्षिणी)	पू० पंजाब बैंक प० – अमृत चौक उ० – शिव मन्दिर द० – वी०एस०रावत	शिवालिक नगर क्लस्टर क्यू/आर एवं एस का आंशिक भाग
वार्ड सं० 5	न्यू शिवालिकनगर	पू० एसक्लस्टर के पास वाला पुल प० – अटल वाटिका उ० – कर्नल चौक द० – पुंडिर एसोसिएटस	शिवालिक नगर (एस क्लस्टर का आंशिक)

1	2	3	4
वार्ड सं० 6	टिहरी विस्थापित (उत्तरी)	पू० राम मन्दिर प० — एसवलस्टर के पास वाला पुल उ० —बी 0एच०ई०एल० की सीमा द० — गली न० 7	गली न०- 1 से गली नं--7 तक टिहरी विस्थापित कालोनी
वार्ड सं० 7	टिहरी विस्थापित (पी०ए०सी)	पू० पी०ए०सी स्टाफ क्वाटर प० — पुलिया उ० — पी०ए०सी कैम्प की सीमा द० — गंग नहर तक	गली नं0–7 से गली नं 16 तक, शिवधाम कालोनी, बीना एन्क्लेव, गोकुलधाम, फ्रेन्ड्स कालोनी एवं पीएसी आंशिक
वार्ड सं० 8	सुभाषनगर (पश्चिमी)	पू० पंजाब बैंक प० — पी०ए०सी० स्टेडियम उ० — बी०एच०ई०एल० चैक पाइंट न० 8 द० — राम स्वीट्स	गली नं0बी–9 से गली नं0 बी–11 एवं गली नं0 डी–1 से गली नं0 डी–9 तक सुभाषनगर
वार्ड सं० 9	सुभाषनगर (दक्षिणी)	पू० — सुभाषनगर रोड़ प०— नगर निगम हरिद्वार की सीमा उ० — बंसल स्वीट्स द० — शिव मन्दिर	सुभाषनगर गलीए–9 से ए–14 तक एवं सी–1 से झण्डा चौक से मन्दिर के सामने तक।
वार्ड सं० 10	सुभाषनगर (उत्तरी)	पू० — शनि देव मन्दिर प० — बी०एच०ई०एल० चैक पाइंट उ० — कब्रिस्तान द० — नगर निगम हरिद्वार कि सीमा	सुभाषनगर गली नं0बी–1 से बी–8 तक,
वार्ड सं० 11	देव नगर	पू० — बी०एच०ई०एल० की सीमा प० — रावली महदुव के नाले की पुलिया उ० — शिव मन्दिर द० — तालीब फैब्रीकेशन	आंशिक इंद्रलोक नेहरू कालोनी एवं देवनगर दर्शन नगर एवं कृपाल नगर
वार्ड सं० 12	नवोदय नगर	पू० ० — नवोदय पेट्रोल पम्प प० — नदी उ० — पानी की टंकी द० — गारगी एनक्लेव	आंशिक नवोदय नगर एवं गार्गी ऐन्क्लेव
वार्ड सं० 13	जिला मुख्यालय	पू० — कलैक्ट्रेट प० — नदी उ० — जंगल की सीमा तक द० — दीप गंगा एनक्लेव	रोशनाबाद, जिला मुख्यालय एवं आवासीय कालोनी नवोदय विद्यालय, जिला कारागार, पुलिस लाईन

आज्ञा से,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग-02

कार्यालय ज्ञाप

22 मई, 2023 ई०

संख्या 123680/XXIV-C 2/2023-09(06)2017—एतद्द्वारा समक्ष विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय महिला महाविद्यालय, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) का नाम "राजकीय महाविद्यालय जसपुर (ऊधमसिंह नगर)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रशान्त आर्य,
अपर सचिव

पी०एस०यू० (आर०ई०) 31 हिन्दी गजट/314—भाग 1 2023 (कम्प्यूटर/सीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DG/DDN/30/2021 2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 14, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COJRT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April 29, 2023

No. 218/UHC/Admin A-2/2023--Shri Nadeem Ahamad 3rd Additional Civil Judge (Sr Div), Rudrapur District Udham Singh Nagar is given addition charge of the office of Principal Magistrate 1st Class Juvenile Justice Board Udham Singh Nagar, until Ms Shama Parveen resumes the charge of the said office after availing her maternity leave

Shri Nadeem Ahamad is directed to hold the Juvenile Justice Board on three alternative days in a week in post lunch sessions

This order will come into force with Immediate effect

By Order of the Court

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar General

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

July 14, 2023

No. 921/III-A-04/2023/SLSA--Smt. Shivani Pasbola, Secretary, District Legal Services Authority, Champawat is hereby sanctioned earned leave for a period of 18 days w.e.f. 20.06.2023 to 07.07.2023 with permission to suffix of 08.07.2023 (Second Saturday) and 09.07.2023 (Sunday).

NOTIFICATION

July 14, 2023

No. 923/III-A-08/2023/SLSA--Shri Akram Ali, Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of 13 days w.e.f. 19.06.2023 to 01.07.2023 with permission to suffix of 02.07.2023 as Sunday holiday.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

SAYED GUFRAN

Officer on Special Duty.

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 15, 2023

No. 307/I-06-2022--Certified that the Charge of Court and Office of the Additional District & Sessions Judge, Pithoragarh, was handed over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No. 87/UHC/Admin.A-2/2023, dated April 06, 2023, as hereinafter denoted, in the afternoon of April 15, 2023.

PANKAJ TOMAR,

Additional District & Sessions Judge

Pithoragarh

Counter-signed.

Illegible

I/c District Judge,

Pithoragarh

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 15, 2023

No 308/I-04-2021--Certified that the office of the Chief Judicial Magistrate Pithoragarh was handed over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand Nainital vide notification no 129/UHC Admin A-2/2023 dated April 06 2023 read with notification no 180/UHC/Admin.A-2/2023, dated April 07 2023 as hereinafter denoted in the afternoon of April 15 2023

KAPIL KUMAR TYAGI
Chief Judicial Magistrate
Pithoragarh

Counter-signed
illegible
I/c District Judge,
Pithoragarh

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 15, 2023

Endorsement No. 309/I-07-2022--Certified that the office of the Civil Judge (Senior Division) Pithoragarh was handed over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide recommendation letter no 1545/UHC/Admin A-2/Annual transfer/2023 dated April 6 2023 and notification no 443/I-A-07 SLSA.2023 dated 11th April 2023 of Hon'ble Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital as hereinafter denoted, in the afternoon of April 15, 2023

BEENU GULYANI
Civil Judge (Sr Div)
Pithoragarh

Counter signed
illegible
I/c District Judge
Pithoragarh

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

19 जुलाई, 2023 ई०

संख्या 2418/आरटीए/दस /गतिसीमा/2023–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 की उपधारा (2) के अन्तर्गत में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह लगवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम–180 में प्राविधान है कि पर्वतीय मार्गों पर गति सीमा निर्धारण पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी संभागीय परिवहन प्राधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

पर्वतीय मार्गों पर अधिकतम गति सीमा निर्धारण हेतु सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है उक्त के क्रम में देहरादून एवं टिहरी जनपद के पर्वतीय मार्गों पर गति सीमा निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा गति सीमा निर्धारण का प्रस्ताव संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया जिसको प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2023 की संकल्प संख्या–19 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसके अनुसार देहरादून एवं टिहरी जनपद के पर्वतीय मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

देहरादून जनपद के पर्वतीय मार्गों हेतु वाहनों की अधिकतम गति सीमा

क्र० सं०	मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार		
		दुपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	हल्का चार पहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	मध्यम/भारी वाहन की अधिकतम गति सीमा
1	मसूरी सुआखोली	30	30	20
2.	मसूरी–कैम्पटी यमुना पुल मार्ग	30	30	20
3.	त्यूनी–अटाल मार्ग	30	30	20
4	लाखामण्डल चकराता त्यूनी	30	30	20
5.	विकासनगर–यमुनापुल	40	40	30
6.	यमुनापुल–नागथात–चकराता	30	30	20
7	त्यूनी–कथियान–दारागाड़ किराण	25	30	20
8.	रहिया फेड़ूलानी	20	26	20
9.	त्यूनी–आराकोट चीवा	20	25	20
10	कालसी कोटी इच्छाड़ी–मीनस	30	30	20
11	त्यूनी दारागाड़–किराड़	25	30	20
12	कोटी रजाणू	20	25	20
13	कालसी से चकराता	40	40	30
14	मालदेवता से मसूरी बाईपास	30	30	20

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य/ग्रामीण मार्गों पर गति सीमा

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मध्यम/भारी वाहन हेतु अधिकतम गति सीमा (किमी0/घण्टा)	हल्के चार पहिया वाहन हेतु अधिकतम गति सीमा (किमी0/घण्टा)
1	मुनीकीरेती से कीर्तिनगर मोटर मार्ग	30	40
2	मुनीकीरेती से आगराखाल मोटर मार्ग।	30	40
3	आगराखाल–चम्बा–कमान्द–नगुण मोटर मार्ग	30	40
4	सतुरादेवी–कैम्पटी यमुनापुल मोटर मार्ग।	30	40
5	टिपरी से मलेथा मोटर मार्ग	30	40
6	यमुनापुल–नैनबाग–दियाडी मोटर मार्ग	30	40
7	सुआखोली से चम्बा मोटर मार्ग	30	40
8	सुआखोली–नगुण मोटर मार्ग	25	35
9	घवाड़गाँव से केमुण्डाखाल मोटर मार्ग।	25	35
10	घनसाली से केमुण्डाखाल मोटर मार्ग	25	35
11	घनसाली से चिरबिटिया मोटर मार्ग।	25	35
12	लाटा से बूढाकेदार मोटर मार्ग	25	35
13	सेन्दुल–रजाखेत–घनसाली मोटर मार्ग	25	35
14	रजाखेत–मदननेगी–मोटणा–लम्बगाँव मोटर मार्ग।	25	35
15	पौड़ी–देवप्रयाग–गजा–जाजल मोटर मार्ग।	25	35
16	डाबरखाल कुडी मौण गुरियाली रानीचौरी डांडाचली गजा नकोट पांगरखाल मार्ग।	25	35
17	गूलर नाई सिलखणी मठियाली पसरखेत तमियार शिवपुरी तिमली मोटर मार्ग।	25	35
18	नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग	25	35
19	कद्दूखाल नैचोली भासौं फिफल्टी मुख्य जिला मार्ग	20	25
20	बेरनी ओडाडा पोखरी पसरडाण्डा मोटर मार्ग।	20	25
21	पीपलडाली–रजाखेत मोटर मार्ग	20	25

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –

(अ) अग्निशमन वाहन।

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस वाहन

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2 में उल्लिखित मार्गों/स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 08–04–2018 समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

ह0 (अस्पष्ट)

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

20 मई, 2023 ई0

संख्या 1515/लाईसेंस/2023–प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली डालनवाला देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि 12–08–2022 को वाहन संख्या–यूके–07डीबी–/960 कार को जांच हेतु रोका गया, जांच करने पर यह पाया गया कि चालक द्वारा हेलमेट पहनकर वाहन चलाया जा रहा है वाहन चालक का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–185, 202, 207 के अन्तर्गत चालान कर रसीद किया गया है। उनके द्वारा वाहन चालक श्री उपेन्द्र पंवार पुत्र स्व0 श्री बचन सिंह शिवपुरी कॉलोनी, गुरूद्वारा रोड, प्रेमनगर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूके–0720220003289 जो कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18–05–2022 को मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान हेतु जारी की गयी है तथा दिनांक 08–03–2038 तक वैध है के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है

लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया लाईसेंसधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया है

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत लाईसेंसिंग प्राधिकारी लाईसेंसधारक को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरर्हित(Disqualify) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत (revoke) कर सकता है

अतः मैं नवीन कुमार सिंह, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाईसेंसधारक श्री उपेन्द्र पंवार पुत्र स्व0 श्री बचन सिंह शिवपुरी कॉलोनी गुरूद्वारा रोड, प्रेमनगर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके 0720220003289 जो कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18–05–2022 को मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान हेतु जारी की गयी है तथा दिनांक 08–03–2038 तक वैध है, को प्रतिसंहृत (revoke) करता हूँ।

आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया

आदेश

20 मई, 2023 ई0

संख्या 1516/लाईसेंस/2023– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम, नजीबाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या–5932/नजी0/स0क्षे0प्र0/स्थापना/चालक लाईसेंस/2023 दिनांक 29 मई 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके डेपो के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालक श्री धर्मेन्द्र सिंह को कि चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके–0719870227791 के धारक हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या 5477/सीईएन/19–156 फैजाबाद/अ0निर्मा0/2016–19 दिनांक 30 11 2019 के द्वारा वाहन संचालन हेतु अक्षम घोषित किया गया है उनके द्वारा चालक की अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है उक्त सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 06 04 2023 को सुना गया लाईसेंसधारक द्वारा सुनवाई के दौरान स्वयं स्वीकार किया गया है कि वह वाहन संचालन में सक्षम नहीं हैं अतः उनका लाईसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया गया है

अतः मैं नवीन कुमार सिंह, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाईसंसधारक श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, चौकी पटेलनगर, देहरादून को इस कार्यालय द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति संख्या- यूके-07198702277 91 जो कि हल्का मोटरयान एवं परिवहन यान के लिए जारी तथा दिनाक 22-08-2027 तक वैध है, को प्रतिसंहृत (revoke) करता हूँ।

आज दिनाक 17.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया

आदेश

20 मई, 2023 ई0

संख्या--1517/लाईसेंस/2023--प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली डालनवाला, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि 12-07-2022 को वाहन संख्या यूपी-15सीवाई 1221 कार को जांच हेतु रोका गया, जांच करने पर यह पाया गया कि चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा है। वाहन चालक के मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185, 202, 207 के अन्तर्गत चालान कर सीज किया गया है। उनके द्वारा वाहन चालक श्री जुनैद सैफी पुत्र मो0 उस्मान, 55/2, सरदार पटेलगंज, कबाड़ी बाजार, मेरठ, उ0प्र0 की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूपी 1520040166298 जो कि मेरठ कार्यालय द्वारा दिनांक 23-03-2004 को मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान हेतु जारी की गयी है तथा दिनांक 22-03-2024 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।

लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया है

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत लाईसेंसिंग प्राधिकारी लाईसेंसधारक को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरर्हित(Disqualify) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत (revoke) कर सकता है।

अतः मैं नवीन कुमार सिंह, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1(आई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाईसेंसधारक श्री जुनैद सैफी पुत्र मो0 उस्मान, 55/2, सरदार पटेलगंज, कबाड़ी बाजार, मेरठ, उ0प्र0 की चालन अनुज्ञप्ति संख्या- यूपी 1520040166298 जो कि मेरठ कार्यालय द्वारा दिनांक 23-03-2004 को मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान हेतु जारी की गयी है तथा दिनाक 22-03-2024 तक वैध है, को प्रतिसंहृत (revoke) करता हूँ।

आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया,

नवीन कुमार सिंह,
लाईसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/314 भाग 1-क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 14, 1945 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक : 14 जुलाई, 2023 ई0

सं.78/उत्तराखण्ड–वि.स./35/2022/सी.ई.एम.एस.–III–यतः उत्तराखण्ड राज्य की 35–हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना सं. 464/उत्तरा0–वि0स0/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः35-हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम10 मार्च, 2022को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार साजिद अली, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 35-हरिद्वार ग्रामीण से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए साजिद अली, को कारण बताओ नोटिस सं. 78/उत्तराखण्ड-वि.स./35/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर,2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए साजिद अली, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या 347/29-40-(निर्वाचन व्यय लेखा)/2022 दिनांक 12.04.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई द्वारा दिनांक 02.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या 347/29-40-(निर्वाचन व्यय लेखा)/2022 दिनांक 12.04.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी पत्र सं0 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 11.04.2023 में यह बताया गया है कि साजिद अली, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है किसाजिद अली, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 35-हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी साजिद अली, निवासी ग्राम- नसीरपुर कलां, पोस्ट शाहपुर शीतलाखेड़ा, हरिद्वार। को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

विनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
प्रताप सिंह शाह,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

July 14, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/35/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to **35-Haridwar Rural** Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/ Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with **35-Haridwar Rural** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, **Haridwar, Uttarakhand** and forwarded by the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand** vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22th April, 2021, **Sajid Ali,** a contesting candidate of **Uttarakhand** from **35-Haridwar Rural** Assembly Constituency of **Uttarakhand,** has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer Haridwar, Uttarakhand** and the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** a Show-Cause notice,76/Uttarakhand -LA/2022/35/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sajid Ali,** for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, **Sajid Ali,** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received bythe candidate's brotheron 02.11.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Haridwa, vide its letter No.347/29-40-(निर्वाचनव्ययलेखा)/2022 dated 12.04.2023; forwarded by Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** letter no.891/XXV-22(II)/2008 date15.06.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Haridwar, in his Supplementary Report dated 11.04 2023 vide its letter No. 347/29-40-(निर्वाचनव्ययलेखा)/2022 dated 12.04.2023 forwarded by Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** letter no. 891/XXV-22(II)/2008 dated 15.06.2023 has reported that **Sajid Ali** has neither submitted any representation nor any statement of account

of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sajid Ali**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sajid Ali** resident of **Village-NaseerpurKalan, Post- Shahpur Sheetlakhera, Haridwar,** a contesting candidate from **35-Haridwar Rural** Assembly Constituency of the State of **Uttarakhand** in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
PRATAP SINGH SHAH,
Joint Chief Electoral Officer,
Utterakhand.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/314–भाग 7–2023 (कम्प्यूटर/सीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।